डाक-व्यय की पूर्व-अदावगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पेत्र क्र. भोषाल-एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम.पी. 108/भोपाल/2000.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 मार्च 2000-फाल्गुन 17, शक 1921

# विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2000

क्र. 2641-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 4 मार्च, 2000 को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

# मध्यप्रदेश अधिनियम

#### क्रमांक स्मा २०००.

# मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिकास निधि बोर्ड अधिनियम, २०००.

# विषय-सूची.

#### धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
- २. षरिभाषाएं.
- ३. बोर्ड का गठन.
- ४. 🐪 सदस्यों की पदावधि.
- ५. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.
- ६. उधार लेने तथा उधार देने की बोर्ड की शक्ति.
- ७. राज्य सरकार द्वारा उधारों की प्रत्याभृति.
- ८. बोर्ड को शोध्य धन की वसूली का ढंग.
- ९. बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे.
- १०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
- ११. सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति.
- १२. लेखे तथा संपरीक्षा.
- १३. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं की संपरीक्षित विवरणी.
- १४. बोर्ड का विघटन.
- १५. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीप्त.
- १६. निधि में अभिदाय.
- १७. स्कीम का उपांतरण.
- १८. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.
- १९. कठिनाइयों का निराकरण.
- २०. नियम बनाने की शक्ति.
- २१. निरसन. अनुसूची.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

#### क्रमांक ६ सन् २०००

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २०००.

[दिनांक 4 मार्च, 2000 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' (असाधारण) में दिनांक 7 भार्च, 2000 को प्रथमकर प्रकाशित की गई]

राज्य में अभोसंरचना परियोजना में विनिधान करने और उससे संसक्त तथा आनुवंगिक विषयों के लिए निधि का गठन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:---

१. (१) इस अधिनियम का संक्षित नाम मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० है.

संक्षिप्त नाम, विस्ता और प्रारंभ.

- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
- (३) यह १९ जनवरी, २००० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.
- २. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

- (क) 'बोर्ड' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड;
- (ख) 'वित्तीय सहायता' से अभिप्रेत है स्कीम में विनिर्दिष्ट सहायता के प्रकार;
- (ग) 'निधि' से अभिप्रेत है धारा १५ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश अधीसंरचना विनिधान निधि;
- (घ) 'निधि प्रबंधक' से अभिप्रेत है बोर्ड का निधि प्रबंधक;
- (ङ) 'अधोसंरचना परियोजना' के अन्तर्गत आते हैं सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, टोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निस्सारण के क्षेत्र में की परियोजनाएं या इनमें से एक या एक से अधिक क्षेत्रों की कोई बहु- उद्देशीय परियोजना;
- (च) 'स्थानीय स्वायत्त शासन' से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन किसी भी स्तर पर गठित पंचायत या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित कोई नगरपालिका या नगर पंचायत या मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम;
- (छ) 'अन्य उपक्रम' से अभिप्रेत हैं, जहां कि सरकार का विनिधान कुल संदत्त अंशपूंजी का चालीस प्रतिशत से कम न हो, वहां कम्पनी अधिनियम, १९५६ (केन्द्रीय अधिनियम, १९५६ का १) के अधीन राज्य में, संयुक्त क्षेत्र में स्थापित सार्वजनिक कम्पनियां या जहां यथास्थिति, सरकार, स्थानीय स्वायत्त शासन या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का उसकी आस्तियों, स्वामित्व और प्रबंधन में पचास प्रतिशत से कम हित न हो, वहां सोसाइटी रिजस्ट्रीकर अधिनियम, १८६० (केन्द्रीय अधिनियम १८६० का २१) के अधीन स्थापित सोसाइटियां;
- (ज) 'सार्वजिक क्षेत्र के उपक्रम' से अभिप्रेत है, जहां कि सरकार पचास प्रतिशत से कम अंशपूंजी धारित न करती हो और जहां उसके प्रबंधन पर उसका पर्यात नियंत्रण हो, वहां कम्पनी

अधिनियम, १९५६ के देश अधिनियम १९५६ का १) के अधीन राज्य में स्थापित कोई सरकारी कम्पनी या मध्यप्रदेश सहकार दोसाइटो अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रिजस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसाइटी और उसमें किसी कानून के अधीन स्थापित सार्वजिकत उपक्रम आते हैं:

- (झ) 'स्कीम' से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम;
- (ञ) 'उपक्रम' से अभिप्रेत है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य उपक्रम;
- (ट) 'वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष.

#### बोर्ड का गठन.

- ३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निधि के प्रशासन के लिए और निधि से वित्तपोषित क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन कर सकेगी.
- (२) बोर्ड उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जो उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा जिसके विरुद्ध उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा.
  - (३) बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात:-
    - (क) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन;
    - (ख) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग;
    - (ग) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग;
    - (घ) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग;
    - (ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग;
    - (च) प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना विभाग;
    - (छ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (संस्थागत वित्त);
    - (ज) बैंकिंग के विकास में अनुभव परिसिद्ध, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति.
    - (४) मुख्य सचिव, बोर्ड का अध्यक्ष होगा.
  - (५) सचिव (संस्थागत वित्त) बोर्ड का निधि प्रबंधक होगा.
  - (६) बोर्ड, उसमें निहित निधि का प्रबन्ध ऐसी रीति में करेगा जैसा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए.
  - (७) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम या स्कीम के अधीन निधि प्रबन्धक को, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जैसे कि वह विनिर्दिष्ट करे, अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित कर सकेगा जो कि वह निधि के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक समझे.

- ४. (१) धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त सदस्यों की पदावधि. पद धारण करेगा.
- (२) धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार को लिखित में सूचना द्वारा, अपनी सदस्यता त्याग सकेगा किन्तु राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने तक वह पद पर बना रहेगा.
- ५. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे, बोर्ड की शक्तियां अर्थात्:—
  - (क) निधि का उपयोग करने के लिए संसाधन जुटाना;
  - (ख) स्कीम के अनुसार उपक्रमों को वित्तीय सहायता मंजूर करना;
  - (ग) सहायता प्राप्त उपक्रमों से, वसूली-अनुसूची के अनुसार बोर्ड को शोध्य रकम वसूल करना;
  - (घ) सहायता प्राप्त उपक्रमों में से किसी उपक्रम से वसूलियों को उपान्तरित, पुनरीक्षित या पुन: अनुसूचित करना जैसे कि समुचित समझे जाएं;
  - यदि बोर्ड के हित में आवश्यक और समुचित पाया जाए तो सहायता प्राप्त उपक्रमों में के किसी उपक्रम से राजस्व वसूली प्रक्रिया का चयन करना;
  - (च) निधि के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त व्यय वितरित करना जिनमें यात्रा, उधारियों पर ब्याज, फीस, वृत्तिक प्रभार और अन्य व्यय सम्मिलित हैं;
  - (छ) बोर्ड की अधिशेष निधि को, जो कि समय-समय पर उपलब्ध हो, ऐसी रीति में, जैसी कि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, विनिहित करना और ऐसे विनिधानों को वसूल भी करना;
  - (ज) निधि से सहायता या ऋण प्राप्त करने वाले किसी उपक्रम के कार्य का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;
  - (झ) राज्य सरकार की ओर से, इस अधिनियम की परिधि के भीतर किसी उपक्रम के साथ सहमित या संविदा संपादित करना;
  - (ञ) बोर्ड की ओर से संविदा करना;
  - (ट) ऐसी शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करना जो कि स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं;
  - (ठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उसे प्रदत्त किए जाएं या उसे सौंपे जाएं;
  - (ड) उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए गए कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक और उससे आनुषंगिक सभी कार्य करना.
- ६. (१) बोर्ड, समय-समय पर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार साधारण या िशेष आदेश द्वारा अवधारित करें, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई राशि, चाहे बांड या डिबेंचर जारी करके या अन्यथा अथवा राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त अनुमोदित बैंकों या संस्थाओं से उहराव करके उधार ले सकेगा.

उधार लेने तथा उधार देने की. बोर्ड की शक्ति.

- (२) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा जारी बांड या डिबेंचर ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार साधारण या विश्लेष आदेश द्वारा निदेशित करे, जारी किए जाएंगे, अंतरित किए जाएंगे, उनका लेन⊸देन किया जाएगा या उन्हें मोचित किया जाएगा.
- (३) इस अधिनियम के उपबंधों और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, बोर्ड तत्समय कार्यरत किसी सार्वजनिक उपक्रम या अन्य उपक्रमों को अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए अपनी निधियों में से उधार तथा अग्रिम मंजूर कर सकेगा.

राज्य सरकार द्वारा उधारों की प्रत्याभृति. ७. राज्य सरकार, ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, बोर्ड द्वारा धारा ६ के अधीन लिए जाने के लिए प्रस्तावित किसी उधार के मूलधन तथा ब्याज के भुगतान को प्रत्याभूत कर सकेगी:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कुल प्रत्याभूति एक हजार करोड़ रुपये की राशि से अधिक की नहीं होगी.

बोर्ड को शोध्य धन की वसूली का ढंग. ८. इस अधिनियम या स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड को देय या बोर्ड द्वारा बसूली योग्य समस्त राशियां तथा उससे संबंधित उपगत समस्त प्रभारों या व्ययों की बसूली के किसी अन्य ढंग के होते हुए भी बोर्ड की ओर से भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होंगी.

बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे.

९. बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, निधि प्रबन्धक तथा बोर्ड के कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (केन्द्रीय अधिनियम, १८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संस्थाण. १०. इस अधिनियम के अधीन या स्कीम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशियत किसी बात के संबंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी.

सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति.

- ११. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट िकसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा िक वह राज्य तथा राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित विषयों में निदेश जारी करे और ऐसे निदेश बोर्ड पर बन्धनकारी होंगे.
- (२) राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा अनुसरण किए जाने हेतु सामान्य निदेश बोर्ड को दे सकेगी.
- (३) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शिक्तयों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, उपधारा (२) के अधीन जारी किए गए किसी साधारण निदेश से नहीं हटेगा.

लेखे तथा संपरीक्षा.

- १२. (१) बोर्ड अपने लेखाओं के संबंध में ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें रखेगा और लेखाओं की वार्षिक विवरणी तथा तुलन पत्र ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जैसी कि स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं तैयार करेगा.
- (२) बोर्ड के लेखे ऐसे संपरीक्षक द्वारा, ऐसी रीति में तथा ऐसे समय पर संपरीक्षित किए जाएंगे जैसे कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेशित करे और इस प्रकार नियुक्त संप्ररीक्षक को दस्तावेजों को पेश करने तथा ऐसे मामलों के संबंध में जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी.
- (३) संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखाओं को उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष लेखा वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी तथा राज्य सरकार बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा.

१३. (१) बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी तथा बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् रिपोर्ट की एक प्रति, प्रत्येक वर्ष जुलाई की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी.

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं की संपरीक्षित विकरणी.

- (२) राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के यथाशक्य शीघ्र उसे लेखाओं की संपरीक्षित विवरणी के साथ विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.
- १४. (१) यदि किसी कारण से राज्य सरकार की यह राय हो कि बोर्ड को बनाए रखना आवश्यक नहीं है बोर्ड का विघटन. तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड को विघटित कर सकेगी.
  - (२) बोर्ड को उपधारा (१) के अधीन विघटित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर-
    - (क) अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य समस्त सदस्य विघटन की तारीख से अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे;
    - (ख) उन समस्त शक्तियों और कृत्यों का, जिनका प्रयोग और पालन इस अधिनियम द्वारा या उसके उपबंधों के अधीन बोर्ड और अध्यक्ष की ओर से किया जाता है, का विघटन की तारीख से प्रयोग और पालन राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कि वह इस निमित्त नियत करे:
    - (ग) बोर्ड में निहित समस्त निधियां और अन्य सम्पत्ति, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी; और
    - (घ) बोर्ड के विरुद्ध विधिक रूप से विद्यमान और प्रवर्तनीय समस्त दायित्व राज्य सरकार के विरुद्ध उसमें निहित्त निधियों और सम्मत्तियों की सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे.
- (३) इस धारा में को कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत बंधपत्र (बांड) या डिबेंचर के संबंध में प्रभावशील नहीं होगी.
- १५. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन राज्य की अधौसंरचना परियोजना में विनिधान के लिए निधि की स्थापना करने के लिए ''मध्यप्रदेश अधौसंरचना विनिधान निधि स्कीम'' के नाम से एक स्कीम तैयार करेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्कीम बनने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र एक निधि स्थापित की जाएगी.

मध्यप्रदेश अधी-संरचना विनिधान निधि स्कीम.

- (२) निधि में निम्नलिखित संजित किए जाएं:-
  - (क) धारा १६ में विनिर्दिष्ट अभिदाय;
  - (ख) बोर्ड द्वारा धारा ६ के अधीन उधार ली गई रकम:
  - (ग) राज्य सरकार या किसी संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान या ऋण या अग्रिम;
  - (घ) बोर्ड के स्त्रोतों की वृद्धि करने के लिए बोर्ड द्वारा अन्य स्त्रोतों से समुख्यापित कोई रकम;
  - (ङ) कोई अन्य रकम जो स्कीम के उपबंधों के अधीन निधि के लिए, सृजित की जाए.
- (३) निधि, बोर्ड में निहित होगी तथा बोर्ड द्वारा प्रशासित की जाएगी.

- (४) निधि, निम्नलिखित समस्त या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोजित की जा सकेगी, अर्थात्:-
  - (क) राज्य में अधोसरंचना परियोजना में विनिधान वित्तपोषण करने के लिए; और
  - (ख) निधि के लिए स्त्रोतों को समुख्यापित करने के लिए उपयोग में लाए गए बंधपत्रों और डिबेन्चरों का मोचन करने के लिए.
- (५) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट समस्त धन राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा और खाता निधि प्रबंधक द्वारा प्रचालित किया जाएगा.
- (६) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपधारा (१) के अधीन विरचित स्कीम में उपधारा (४) और अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त या किसी भी विषय के लिए उपबंध किए जा सकेंगे.

निधि में अभिदाय.

१६. राज्य सरकार, समय-समय पर, राज्य विधान-मंडल की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निधि में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऐसे अनुदान, अग्रिम और ऋण दे सकेगी जैसे कि अवधारित किए जाएं.

स्कीम का उपांतरण.

१७. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा १५ के अधीन विरचित स्कीम में कोई चीज जोड़ सकेगी, उसे संशोधित कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी.

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का

१८. किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं होगी कि वह किसी ऐसे प्रश्न को तय करे, विनिश्चित करें या निपटाए या किसी अन्य विषय का अवधारण करे किसका इस अधिनियम या स्कीम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हो, तम किया जाना, विनिश्चित किया जाना या निपटाया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित हो.

कठिनाइयों का निराकरण. १९. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अवसर की अपेक्षानुसार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीम से संगत कोई भी कार्य जो उसे किठनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति

- २०. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.
  - (२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

निरसन.

२१. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अध्यादेश, २००० (क्रमांक १ सन् २०००) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

# अनुसूची

### [धारा १५(६) देखिए]

# वे विषय जिनके लिए स्कीम में उपबंध किए जा सकेंगे.

- १. सहायता के लिए उपक्रम की पात्रता.
- २. वे प्रयोजन जिनके लिए सहायता दी जा सकेगी.
- ३. सहायता के ढंग.
- ४. ब्याज तथा दाण्डिक प्रभार.
- ५. सहायता के लिए प्रतिभूति.
- ६. आंकने तथा स्वीकृति की प्रक्रिया.
- ७. संवितरण प्रक्रिया.
- ८. सहमति/संविदा पालन के ज्ञापन के लिए दिशा-निर्देश.
- ९. वसूली की प्रक्रिया.
- १०. अनुश्रवण की पद्धति.
- ११. अतिशेष निधियों का विनिधान.
  - १२. बोर्ड के सम्मिलन, गणपूर्ति, फीस तथा बोर्ड के सदस्यों के भत्ते.
  - १३. वह रीति जिसमें लेखा रखा जाएगा, बजट तैयार करना, लेखाओं की संपरीक्षा तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.
  - १४. निधि के प्रशासन में उपगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रक्रिया.

- १५. कोई अन्य विषय जो कि स्कीम में उपबंधित किए जाने हों या जो स्कीम के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित समझे जाएं.
- १६. बोर्ड के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, बेतन, भन्ने, अनुशासन तथा सेबा-की शर्ते.

#### भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2000

क्र. 2642-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिवः

#### MADHYA PRADESH ACT

#### NO. 6 OF 2000

#### THE MADHYA PRADESH ADHOSANRACHNA VINIDHAN NIDHI BOARD ADHINIYAM, 2000

#### TABLE OF CONTENTS

#### Sections:

- 1. Short title, extent and commencement.
- 2. Definitions.
- 3. Constitution of Board.
- 4. Term of office of members.
- 5. Powers and functions of Board.
- 6. Power of Board to borrow and lend.
- 7. Guarantee by Government of loans.
- 8. Mode of recovery of money due to Board.
- 9. Members and staff of Board to be public servants.
- 10. protection for acts done in good faith.
- 11. Power of State Government to issue directions.
- 12. Accounts and Audit.
- 13. Annual report and audited statement of accounts.
- 14. Dissolution of Board.
- 15. Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Scheme.
- 16. Contribution to fund.
- 17. Modification of Scheme.
- 18. Bar of jurisdiction of Civil Courts.
- 19. Removal of difficulties.
- 20. Power to make rules.
- 21. Repeal.

The Schedule

#### MADHYA PRADESH ACT

#### NO. 6 OF 2000

#### THE MADHYA PRADESH ADHOSANRACHNA VINIDHAN NIDHI BOARD ADHINIYAM, 2000

[Received the assent of the Governor on the 4th March, 2000 assent first published in the "Madhya Pradesh Gaastte (Extra-ordinary)" dated the 7th March, 2000.]

An act to provide for the constitution of a fund for investment in the infrastructure projects in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the madhya Pradesh Legislature in the Fifty first Year of the Republic or India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000.

Short title, extent and commencement.

- (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) It shall be deemed to have come into force on the 19th day of january, 2000.
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- "Board" means the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board constituted under Section 3;
- (b) "Financial Assistance" means the types of assistance specified in the Scheme;
- "Fund" means the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund established under Section 15;
- (d) "Fund Manager" means the Fund Manager of the Board;
- (e) "Infrastructure Projects" Include projects in the sector of roads, irrigation, water supply, solid waste management and drainage or a multipurpose project in any one or more of these areas;
- "local Self Government" means a Panchayat at any level constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), or a Municipality or a Nagar Panchayat Constituted under the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) or a Municipal Corporation Constituted under the madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);
- "Other undertakings" means Public companies established in the State under the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) in joint sector, where the investment of the Government is not less than forty per cent. of the total paid up share capital, or societies established under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) and where Government, local self Governments or any Public Sector undertaking, as the case may be, have not less than fifty per cent. of interest in its assets, ownership and management;
- (h) "Public Sector Undertakings" means any Government company established in the State under the companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956) or a co-operative Society registered or deemed to have been registered under the Madhya Pradesh

Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) where the Government holds not less than fifty per cent. of the share capital, and substantial control over its management and includes public undertakings established under statute;

- (i) "Scheme" means the scheme framed under this Act;
- (j) "Undertakings" means the public sector undertakings or other undertakings;
- (k) "Year" means the financial year.

# Constitution of Beard.

- 3. (1) The State Government may by notification, constitute with effect from such date as may be specified therein, a Board to be called "the Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Board" for the administration of the fund and to supervise or carry out the activities financed from the fund.
- (2) The Board shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.
  - (3) The Board shall consist of the following members, namely:-
    - (a) the Chief Secretary to Government of Madhya Pradesh;
    - (b) the Principal Secretary/Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Finance Department;
    - (c) the Principal Secretary/Secretary to Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department;
  - (d) the Principal Secretary/Secretary to Government of Madhya Pradesh, Revenue Department;
  - (e) the Principal Secretary/Secretary to Government of Madhya Pradesh, Public Works Department;
  - (f) the Principal Secretary/Secretary to Government of Madhya Pradesh, Planning Department;
  - (g) the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Finance Department (Institutional Finance);
  - (h) two persons who have proven experience in development banking nominated by the State Government.
  - (4) The Chief Secretary shall be the Chairman of the Board.
  - (5) The Secretary (Institutional Finance) shall be the Fund Manager of the Board.
- (6) The Borad shall administer the fund vested in it in such manner as may be specified in the scheme.
- (7) The Board may, with the previous approval of the State Government, delegate to the Fund Manager such of its powers and functions under this Act or the scheme, as it may consider necessary for the efficient administration of the fund, subject to such restrictions and conditions, if any, as it may specify.

4. (1) A member appointed under clause (h) of sub-section (3) of Section 3 shall hold office during the pleasure of the State Government.

Term of office of

- (2) Any member appointed under clause (h) of sub-section (3) of Section 3 may resign his membership by giving notice in writing to the State Government but shall continue in office until his resignation is accepted by the State Government.
- 5. Subject to the provisions of this Act, the Board shall have the following powers and functions, namely:—

Powers and functions of **Board**.

- (a) to moblize resources for the utilization of the fund;
- (b) to sanction financial assistance to the undertakings as per the scheme;
- (c) to recover the amounts due to the Board from the assisted undertakings as per the recovery schedule;
- (d) to modify, revise or reschedule the recoveries from any of the assisted undertakings as may be considered appropriate;
- to opt for revenue recovery procedures, if found necessary and appropriate against any of the assisted undertakings in the interest of the Board;
- (f) to distribute all expenses relating to the administration of the fund including travel interest on borrowings, fees, professional charges and other expenses;
- (g) to invest any surplus fund of the Board as may be available from time to time in such manner as may be specified in the scheme and also to realize such investments;
- (h) to review the performance of any undertakings receiving any assistance or loan from the fund on a periodic basis.
- to enter into memorandum of understanding or performance contract with any undertakings under the purview of this Act, on behalf of the State Government;
- (j) to enter into contract on behalf of the Board;
- (k) to exercise such of the powers and functions as may be specified in the scheme;
- to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred
  on or entrusted to it by the State Government for carrying out the purpose of
  this Act;
- (m) to do all acts necessary for, and incidental to, carrying out of the funcitons entrusted or delegated to it.

6. (1) the Board may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to such conditions as the State Government may, by general or Special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act whether, by the issue of bonds or debentures or otherwise or by making arrangments with Banks or Institutions approved by the State Government in that behalf.

Power of Board to borrow and lend.

(2) Bonds or debentures issued by the Board under this section shall be issued, transferred, dealt with or redeemed in such manner as the State Government, may by general or special order, direct.

(3) Subject to the provisions of this Act and such conditions and limitations as may be specified in the scheme, the Board may, out of its funds, grant loans and advances for infrastructure projects to any public sector undertakings or other undertakings for the time being in existence in the State.

Guarantee by Government of leans.

7. The State Government may guarantee, in such manner as it may deem fit, the payment of the principal and interest of any loan proposed to be raised by the Board under Section 6:

Provided that the total guarantee issued by the State Government under this Act shall not exceed a sum of Rupees one thousand crores.

Mode of recovery of money due to Board.

8. All sums payable by any person to the Board or recoverable by it under this Act or the scheme and all charges or expenses incurred in connection therewith shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable on behalf of the Board as arrear of land revenue.

Members and staff of Board to be public servants.

 Every member of the Board, the Fund Manager and staff of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

Protection for acts done in good faith.

10. No suit or other legal proceedings shall lie against any member of the Board or any other person in respect of anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act or under the scheme.

Power of State Government to issue directions.

- 11. (1) Notwithstanding anything contained in this Act it shall be lawful for the State Government to issue directions to the Board in matters relating to State and National Policies and such directions shall be binding on the Board.
- (2) The State Government may, after consultation with the Board, give to the Board general directions to be followed by the Board.
- (3) In the exercise of the powers and performance of its duties under this Act, the Board shall not depart from any general direction issued under sub-section (2) except with the previous permission of State Government.

Accounts and Audit.

- 12. (1) The Board shall maintain such books of accounts and other books in relation to its accounts and prepare an annual statement of accounts and balance sheet in such form and in such manner as may be specified in the scheme.
- (2) The accounts of the Board shall be audited by such auditor, in such manner and at such time as the State Govrnment may, by general or special order, direct and the auditor so appointed shall have such powers of requiring the production of documents and the furnishing of information in respect of such matters.
- (3) The Accounts of the Board as certified by the auditor together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government within six months from closure of accounting year and the State Government may issue such directions to the Board as they may deem fit and the Board shall comply with such directions.

Annual report and audited statement of accounts.

- 13. (1) The annual report of the Board shall be prepared under the direction of the Board and after approval by the Board, a copy of the report shall be submitted to State Government before the end of July every year.
- (2) The State Government shall, as soon as the annual report is received, cause the same together with the audited statement of accounts to be laid on the table of the Legislative Assembly.

Dissolution of Beard.

14. (1) If the State Government for any reason are of opinion that it is not necessary to continue the Board it may, by notification in the Gazette, dissolve the Board from such date as may be specified therein.

- (2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) dissolving the Board,—
  - (a) the Chairman and all the other members of the Board shall, as from the date of dissolution, vacate their offices as such;
  - (b) all the powers and functions which are, by or under the provisions of this Act, exercised and performed by or on behalf of the Board and the Chairman shall, as from the date of dissolution, be exercised and performed by the State Government or such authority or person as it may appoint in this behalf;
  - (c) all funds and other property vested in the Board shall vest in the State Government; and
  - (d) all liabilities legally subsisting and enforceable against the Board shall be enforceable against the State Government to the extent of the funds and properties vested in it.
  - (3) Nothing in this section shall affect the liability of the State Government in respect of bonds or debentures guaranteed by the State Government.
- 15. (1) The State Government may, by notification frame a scheme to be called the 'Madhya Pradesh Infrastructure Investment Fund Scheme' for the establishment of a fund under this Act for investment in the infrastructure projects of the State and there shall be established, as soon as may be after the framing of the scheme, a fund in accordance with the provisions of this Act.

Madbya Pradesh Infrastructure Investment Fund Scheme.

- (2) There shall be credited to the fund,-
  - (a) the contributions specified in Section 16;
  - (b) the amount borrowed by the Board under Section 6;
  - (c) grants or loans or advances made by the State Government or any institution;
  - (d) any amount raised by the Board from other sources to augment the resources of the Board;
  - (e) any other amount which, under the provisions of the scheme, shall be credited to the fund.
- (3) The fund shall vest in, and be administered by, the Board.
- (4) The fund may be utilized for all or any of the following purposes, namely:-
  - (a) to finance investments in infrastructure projects in the State; and
  - (b) to redeem the bonds and debentures used to raise resources for the fund.
  - (5) All money specified in sub-section (2) shall be deposited with the approval of the State
    Government in a Scheduled bank and the account shall be operated by the Fund
    Manager.
  - (6) Subject to the provisions of this Act, the Scheme framed under sub-section (1) may provide for all or any of the matters specified in sub-section (4) and in the Schedule.
- 16. The State Government may, after due appropriation by law of the State Legislature, from time to time make such grants, advances and loans to the fund for the purposes of this Act on such terms and conditions as may be determined.

Contribution to

17. The State Government may by notification, add to, amend or vary the scheme framed under Section 15.

Medification of Scheme.

F8. No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under this Act or scheme required to be settled decided of dealt

Bar of Jurisdietion of Civil Courts. with or to be determined by the State Government or the Board or any officer authorised by the State Government or the Board.

Removal of difficulties.

19. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, as occasion may require, by order, do anything not inconsistent with this Act or the scheme made thereunder, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

Power to make rules.

- 20. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out of the provisions of this Act.
  - (2) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Repeal.

·21. The Madhya Pradesh Adhosanrachana Vimidhan Nidhi Board Adhyadesh, 2000 (No. 1 of 2000) is hereby repealed.

#### THE SCHEDULE

#### [See Section 15(6)]

Matter for which provisions may be made in the Scheme.

- 1. Eligibility of undertakings for assistance.
- 2. The purposes for which the assistance may be given
- 3. Modes of assistance.
- 4. Interest and penal charges.
- 5. Security for the assistance.
- 6. Appraisal and sanction procedure.
- 7. Disbursement procedure.
- 8. Guidelines for memorandum of under standing/performance contract
- 9. Recovery procedure.
- 10. Monitoring system.
- 11. Investment of surplus funds.
- 12. Board meetings quorum, fees and allowances to members of the Board.
- 13. The manner in which accounts shall to kept, the preparation of the budget, the audit of Accounts and the submission of reports to the Government.
- 14 The procedure for defraying the expenditure incurred in the administration of the fund
- 15. Any other matter which is to be provided for in the Scheme or which may be necessary or proper for the purpose of implementing the scheme.
- The Method of appointment, salary, allowances, discipline and conditions of service of the staff of the Board.